बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

710

कार्यालय आदेश सं0–14/अ0प्र0–3–6/16– 12292 पटना,दिनांक– 26.10.16

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा 1 के कार्यालय पत्रांक 46 अनु0, दिनांक 11.01.2014 एवं पत्रांक 194, दिनांक 20.02.2015 के द्वारा सूचित किया गया कि कार्य प्रमंडल बगहा 1 में पीएमजीएसवाई अंतर्गत नवगॉवा से भटैया पथ (पैकेज संख्या–बीआर–37 आर–050) के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य हेतू संवेदक मेसर्स सिकरहना कन्सट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण के साथ दिनांक 23.02.10 को एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा के तहत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 23.02.2010, जबकि कार्य समाप्त करने की तिथि 22.02.2011 थी। परन्तु संवेदक द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 623, दिनांक 17.09.2010 एवं कई मौखिक सूचना के उपरान्त लगभग 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कराया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रथम चालू विपत्र के पश्चात संवेदक द्वारा कार्य को लगभग 6 माह बंद रखा गया। तत्पश्चात दूसरे चालु विपत्र के कार्य एवं भुगतान के उपरान्त संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड दिया गया, जो अभी तक अपूर्ण है। इस संबंध में उनके कार्यालय पत्रांक 1031, दिनांक 03.11.14 द्वारा उक्त संवेदक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है। उक्त तथ्यों की सूचना देते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त अनुशंसा पत्र की छायाप्रति संवेदक को उपलब्ध कराते हुए उक्त तथ्यों के आलोक में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य, दिनांक 26.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में नोडल पदाधिकारी, पीएमजीएसवाई से मंतव्य की मांग की गई। नोडल पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में उल्लेखित किया गया है कि उक्त योजना वर्ष 2008–09 का है। इतनी लंबी अवधि तक कार्य लंबित रखे जाने में फंड की कमी का कार्य स्वीकार्य नहीं हो सकता है। साथ ही मंतव्य में यह भी कहा गया है कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ विपत्र समर्पित करने एवं भुगतान प्राप्त करने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। समीक्षोपरान्त नोडल पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के आधार पर उक्त संवेदक को कालीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 के उप कंडिका (vi) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0–154, दिनांक 18.06.2016 की कंडिका 8 (1)(c) के तहत संवेदक मेसर्स सिकरहना कन्सट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण के निबंधन संख्या–424/2008, श्रेणी–द्वितीय को 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–6/14– 12292 पटना, दिनांक– 26.10.16

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

709

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3—6/14– 12292 पटना, दिनांक– 26.10.16

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय साईट पर अपलोड करें।

26.10.16

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3—6/14– 12292 पटना, दिनांक– 26.10.16

संबंधित

प्रतिलिपि– मेसर्स सिकरहना कन्स्ट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ प्रेषित।

26.10.16

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 11/विविध–06–07/2015– 6147 पटना, दिनांक– 29.11.16

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित)/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2,3 एवं बाढ़/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/~~आई0टी0~~ मैनेजर (वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सचनार्थ प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर

28.11.16

(कमलेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव